कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर,खण्डवा.

जेल रोड़ सिविल लाईन चम्पा तालाब, कन्या छात्रावास के पीछे खण्डवा

dc.knd@mptax.mp.gov.in पिन कोड –450001 दूरभाष 0733–2223246

क्रमांकःउपा / वाक / दो–लेखा / 2017 / **1903** खण्डवा, दिनांक **14.07.2017**

:::विज्ञप्तिः:::

कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर खण्डवा तथा संभाग के अधीनस्थ वृत्त कार्यालयों (वृत्त खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन एवं सेंधवा) के उपयोग हेतु कुल **5** चार पहिया वाहन ग्रहण दिनांक से दिनांक **31.03.2018** तक किराया पर लिये जाना है। अतः वाहन किराये पर लिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा अर्ह संस्थाओं/फर्मो से मुहरबंद निविदाएँ दिनांक **27.07.2017** को दोपहर **3.00 बजे** तक आमंत्रित की जाती है। नियत दिनांक तथा समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।

निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त मुहरबंद निविदाएँ उसी दिन दिनांक **27.07.2017** को शाम **4.00** बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएंगी। यदि निविदाकर्ताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं रहते हैं, तो कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा निविदाएँ खोली जाएंगी।

वाहनों के लिये शर्ते निम्नानुसार हैः–

1. 05 वाहनों में से 02 वाहनों का (संभागीय उपायुक्त खण्डवा हेतु एक वाहन एवं वृत्त खण्डवा हेतु एक वाहन) मुख्यालय खण्डवा शहर रहेगा। एक वाहन (वृत्त बुरहानपुर हेतु) का मुख्यालय बुरहानपुर शहर, एक वाहन (वृत्त खरगोन हेतु) का मुख्यालय खरगोन शहर तथा एक वाहन (वृत्त सेंधवा हेतु) का मुख्यालय सेंधवा शहर रहेगा। इन वाहनों का आवश्यकता अनुसार भ्रमण हेतु उपयोग किया जाएगा।
2. सभी टैक्सी वाहन की अधिकतम कीमत प्रति वाहन रूपये 5.50 लाख (एक्स शोरूम कीमत) होनी चाहिए।
3. वाहन मालिक/संस्था सर्विस टैक्स देने की पात्रता रखता हो तथा वाहन मालिक/संस्था का सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. में पंजीयन होना चाहिये।
4. वाहन डीजल एवं ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा। ड्रायवर का कमर्शियल ड्रायविंग लायसेंस वैध तिथि का होना चाहिये।.
5. वाहन चालक के अवकाश पर रहने की स्थिति में दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ड्रायवर का आचरण शालीन तथा अनुशासित होना चाहिये। उसके विरूद्ध किसी भी पुलिस थाने पर कोई अपराध प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होना चाहिये।
6. वाहनों का नियमित रूप से मैन्टेनेंस किया जाना आवश्यक है तथा वाहन में फ्यूल, मैन्टेनेंस, वाहन चालक का एवं अन्य समस्त व्यय वाहन किराये पर देने वाली ऐजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा।
7. **समस्त शासकीय/अन्य करों आदि** का नियमानुसार भुगतान वाहन एजेन्सी/संस्था द्वारा वहन किया जाएगा तथा भुगतान योग्य आयकर एवं अन्य करों का नियमानुसार स्त्रोत पर कटौत्रा किया जाएगा।